यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़,देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, जिलाधिकारी, हरिद्वार के माह 08/2019 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री खजान सिंह एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.12.2020 से 22.12.2020 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि प्रकाश पाठक एवं श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 13.08.2019 से 21.08.2019 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 04/2016 से 07/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 08/2019 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- हरिद्वार

(ii)(अ) विगत वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2018-19	-	-	649.16	634.31	1357.87	1356.34	-	16.38
2019-20			639.57	639.57	433.94	432.72	-	1.22
2020-21 (11/20)	-	-	443.14	443.14	1598.03	686.33	-	911.70

(ब)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत**
2018-19		-	शून्य		
2019-20		-	शून्य		
2020-21 (11/20)		शून्य			

(iii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई कार्यालय, जिलाधिकारी, हरिद्वार 'ए' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
नगर मजिस्ट्रेट
उप जिलाधिकारी
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
मुख्य सहायक
वरिष्ठ सहायक
कनिष्ट सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, जिलाधिकारी, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, जिलाधिकारी, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2020 एवं 10/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v)लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग दो (ब)

प्रस्तर 01: रु 3.82 लाख की टीडीएस की कटौती न किया जाना एवं रु 1.93 करोड़ मूल्य की खाद्य किटों के वितरण को सत्यापित नहीं किया जाना।

(1) Section 194C. ((1of Income tax Act provided that any person responsible for paying any sum to any resident (hereafter in this section referred to as the contractor (for carrying out any work) including supply of labour for carrying out any work) in pursuance of a contract between the contractor and a specified person shall, at the time of credit of such sum to the account of the contractor or at the time of payment thereof in cash or by issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct an amount equal to– (i) one per cent where the payment is being made or credit is being given to an individual or a Hindu undivided family; (ii) two per cent where the payment is being made or credit is being given to a person other than an individual or a Hindu undivided family.

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री राहत कोष से उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद हरिद्वार को रु 3.00 करोड़ की धनराशि कोरोना वाइरस के संक्रमण के दृष्टिगत संनिर्माण श्रमिकों/व्यक्तियों को खाद्यान्न किट उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत की गयी थी। उक्त धनराशि के सापेक्ष रु 1.93 करोड़ का व्यय कर मै. बालाजी ट्रेडर्स कंपनी नवीन मंडी स्थल रुड़की, मै. पतंजलि एग्रों इंडिया प्रा.लि. हरिद्वार, मै. वी एस एसोशिएटस, गोवर्धन रोड लक्सर, मै. शिवम ट्रेडिंग कंपनी, गोवर्धन रोड लक्सर, मै. रमेश ट्रेडिंग कंपनी न्यू अनाज मंडी, रामपुर, रुड़की, मै. ऋषिलाल एंड संस, न्यू सब्जी मंडी ज्वालापुर, हरिद्वार, मै. हंस ट्रेडिंग कंपनी अनाज मंडी रामपुर रुड़की, मै. हर्ष बारदाना स्टोर, सराय रोड सीतापुर, हरिद्वार, मै. वीएसपीएन पेकिंग इंड. प्लॉट न. 67 शिव गंगा इंडस्ट्रियल इस्टेट कलेश्वरी भगवानपुर, रुड़की एवं मै. भाटिया डिजिटल फोटोशॉप, गुर्जर धर्मशाला, ज्वालापुर से खाद्यान्न किटों की अधिप्राप्ति निम्नानुसार की गयी थी:

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल धनराशि (रु में)	दो प्रतिशत की दर से आयकर (रु)
1	मै. बालाजी ट्रेडर्स कंपनी नवीन मंडी स्थल रुड़की	6472650	
2	पतंजलि एग्रों इंडिया प्रा.लि. हरिद्वार	3135000	
3	मै. वी एस एसोशिएटस, गोवर्धन रोड लक्सर	1254000	
4	मै. शिवम ट्रेडिंग कंपनी, गोवर्धन रोड लक्सर	1254000	
5	मै. रमेश ट्रेडिंग कंपनी न्यू अनाज मंडी, रामपुर, रुड़की	2632500	
6	मै. ऋषिलाल एंड सोंस, न्यू सब्जी मंडी	3775500	

	ज्वालापुर, हरिद्वार		
	मै. हंस ट्रेडिंग कंपनी अनाज मंडी रामपुर रुड़की	585700	
योग		1,91,09,350	3,82,187

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं से आयकर अधिनियम की धारा 194 C के अनुसार दो प्रतिशत की दर रु 3,82,187/- की टीडीएस की कटौती नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने उत्तर दिया कि वसूली की कार्यवाही की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए देयकों की धनराशि से नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जानी चाहिए थी। परंतु ऐसा न किए जाने के कारण न केवल रु 3.82 लाख के राजस्व की हानि हुई बल्कि आपूर्तिकर्ताओं को अदेय लाभ भी हुआ।

(2) उत्तराखण्ड शासन द्वारा 24 मार्च 2020 व 22 मई 2020 को राज्य में कोरोना वाइरस के संक्रमण के दृष्टिगत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों/व्यक्तियों जिनके पास कोई पंजीकरण/परिचयपत्र उपलब्ध न हो उन्हें मूलभूत खाद्य सामग्री किट उपलब्ध कराये जाने हेतु हरिद्वार जनपद को मुख्यमंत्री राहत कोष से रु 3.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी थी। उक्त शासनादेश में जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि वे ऐसे श्रमिकों/व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करें जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे श्रमिकों/व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए जिनके पास न तो राशन कार्ड है और न ही वे सन्निर्माण श्रमिकों के रुप में लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष से खाद्य किटों की अधिप्राप्ति कर वितरण किए जाने पर रु 1.93 करोड़ का व्यय किया गया था। आगे लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा ऐसे श्रमिकों/व्यक्तियों, जो कोरोना संक्रमण के कारण असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण बेरोजगार हुए थे तथा जिनके पास न तो राशन कार्ड था और न ही उनके द्वारा सन्निर्माण श्रमिकों के रूप में लाभ प्राप्त किया गया था, की पहचान कर खाद्य सामग्री किटों के वितरण हेतु चिन्हित किए जाने से संबन्धित कोई अभलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, जिनके अभाव में रु 1.93 करोड़ मुल्य की खाद्य किटों के उचित वितरण को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने उत्तर दिया कि उक्त कार्य तहसील स्तर पर किया गया। उत्तर से स्पष्ट है कि न तो जिलाधिकारी कार्यालय स्तर पर पात्र व्यक्तियों को खाद्य किटों का वितरण सुनिश्चित किया गया। इस प्रकार लेखापरीक्षा में पात्र व्यक्तियों को चिन्हित किए जाने एवं उन्ही चिन्हित व्यक्तयों का खाद्य किटों का वितरण किए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण रु 1.93 करोड़ मूल्य की खाद्य किटों के उचित वितरण को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 02: रु 0.33 करोड़ का अनियमित व्यय ।

As per section 2 (b)(i)(iii) of The Disaster Management Act, 2005 capacity building includes identification of existing resources and recourses to be acquired or created; organization and training of personnel and coordination of such training for effective management of disasters and as per the section 31 (2) (3) (c) District Authority would prepare the district plan including the capacity building and preparedness measures required to be taken by the departments of the Government at the district level and the local authorities in the district to respond to an threatening situation or disaster.

Training of personnel for capacity building should be imparted as per the Standard Operating Procedure for Capacity Building of State Disaster Response Fund issued by National disaster Response Fund, Government of India.

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपरोक्त प्रविधानों के अनुसार क्षमता विकास के अंतर्गत केवल एसडीआरएफ़ कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु धनराशि का व्यय किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत हरिद्वार जनपद को क्रमशः रु 5.00 करोड़ व 15.00 करोड़ की धनराशि आबंटित की गयी थी जिसमें क्षमता विकास पर कुल वार्षिक आबंटन के पाँच प्रतिशत तक राज्य कार्यकारी समिति के आकलन के अनुरूप व्यय किए जाने के निर्देश दिये गए थे। तदनुसार कुल आबंटित धनराशि का पाँच प्रतिशत क्रमशः 0.25 करोड़ व 0.75 करोड़ क्षमता विकास हेतु आरक्षित किया गया था जिसके सापेक्ष उक्त वित्तीय वर्षों में क्षमता विकास मद के अंतर्गत क्रमशः 0.23 व 0.10 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 (b)(i)(iii) के अनुसार क्षमता विकास हेतु मौजूदा और अर्जित किए जाने वाले संसाधनों की पहचान नहीं की गयी थी, अधिनियम की धारा 31 (2) (3) (c) के अनुसार डिस्ट्रिक्ट प्लान में क्षमता विकास एवं आपदा प्रबंधन तैयारियों हेतु कार्यक्रमों को सम्मिलित नहीं किया गया था तथा उक्त अवधि में एसडीआरएफ़ कार्मिकों का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। आगे, लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के उक्त प्रविधानों का उल्लंघन करते हुए क्षमता विकास मद के अंतर्गत एसडीआरएफ़ कार्मिकों के प्रशिक्षण के स्थान पर कम्प्यूटर, यूपीएस, स्टेशनरी, अन्य सामग्री क्रय एवं प्रचार-प्रसार पर क्षमता विकास हेतु आरक्षित धनराशि रुपये 1.00 करोड़ में से रु 0.33 करोड़ की धनराशि का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने उत्तर दिया कि क्षमता विकास हेतु मौजूदा और अर्जित किए जाने वाले संसाधनों की पहचान नहीं की गयी, वार्षिक जनपद कार्य योजना में क्षमता विकास हेतु प्रविधान नहीं किया गया तथा एसडीआरएफ़ कार्मिकों का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि क्षमता विकास हेतु आबंटित धनराशि में से कार्मिकों के प्रशिक्षण के स्थान पर कम्प्यूटर, यूपीएस, स्टेशनरी, अन्य सामग्री क्रय एवं प्रचार-प्रसार आदि पर रु 0.33 करोड़ की धनराशि का अनियमित व्यय किया गया।

अतः रु 0.33 करोड़ के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर 03: रु 63.26 लाख की धनराशि के व्यय का निष्फल रहना व आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्य की पूर्ति न होना।

Disaster Management Act, 2005 provided that:

As per section 30 (2) (1), the District Authority may

(iii) ensure that the areas in the district vulnerable to disasters are identified and measures for the prevention of disasters and the ***mitigation*** of its effects are undertaken by the departments of the Government at the district level as well as by the local authorities;

(iv) ensure that the guidelines for prevention of disasters, ***mitigation*** of its effects, preparedness and response measures as laid down by the National Authority and the State Authority are followed by all departments of the Government at the district level and the local authorities in the district;

Section 32. Plans by different authorities at district level and their implementation.– Every office of the Government of India and of the State Government at the district level and the local authorities shall, subject to the supervision of the District Authority,– (a) prepare a disaster management plan setting out the following, namely:– (i) ***provisions for prevention and mitigation measures*** as provided for in the District Plan and as is assigned to the department or agency concerned;

उत्तराखंड शासन द्वारा मई 2019 व जुलाई 2019 में जनपद में आपदा न्यूनीकरण हेतु ऐसे कार्य जो राज्य आपदा मोचन निधि के निर्धारित मानकों में नहीं आते एवं आपदा न्यूनीकरण, जन-धन की हानि की रोकथाम हेतु तात्कालिक एवं अपरिहार्य रूप से कराये जाने होते हैं, हेतु क्रमशः रु 100.00 लाख व 50.00 लाख की धनराशि आबंटित की गयी थी। उक्त शासनादेशों में यह उल्लिखित किया गया था की स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कर लिया जाय और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जाय। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्य की कुल लागत के 60 प्रतिशत की दर से सिंचाई खंड हरिद्वार को 11 कार्यों हेतु रु 52.78 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, सिंचाई खंड रुड़की को एक कार्य हेतु रु 5.76 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी एवं प्रांतीय खंड लोक लोक निर्माण विभाग को एक कार्य हेतु रु 4.72 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार उक्त तीन कार्यदाई संस्थाओं को स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु 63.26 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रविधानों के अनुसार जनपद प्राधिकरण द्वारा जनपद में आपदा न्यूनीकरण हेतु जोखिम क्षेत्रों की पहचान नहीं की गयी और न ही वार्षिक जनपद आपदा प्रबंधन योजना में आपदा न्यूनीकरण हेतु प्रविधान नहीं किए गए। आगे, लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के आठ माह बाद भी कार्यदाई संस्थाओं को शेष 40 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी। इससे स्पष्ट होता है कि धनराशि स्वीकृत किए जाने के 18 माह बाद, तथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के आठ माह बाद, इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 तो क्या वर्ष 2020-21 का वर्ष काल भी बीत भी बीत चुका था। परंतु उक्त कार्य अभी भी पूर्ण नहीं किए गए थे। आपदा न्यूनीकरण के कार्य तात्कालिक व अपरिहार्य

प्रकृति के होते हैं जिन्हें तात्कालिक रूप से पूर्ण किया जाना होता है। परंतु, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के आठ माह व धनराशि स्वीकृत किए जाने के 18 माह बाद भी उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे। इस तरह न केवल व्यय की गयी रु 63.27 लाख की धनराशि निष्फल थी बल्कि आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्यों की पूर्ति भी न हो सकी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने स्वीकार किया कि वार्षिक कार्य योजना में आपदा न्यूनीकरण हेतु कोई प्राविधान नहीं किया गया तथा कार्य पूर्ण किए जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी। कार्यदाई संस्थाओं को बकाया 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। उत्तर से स्वतः स्पष्ट होता है कि जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा आपदा न्यूनीकरण के कार्यों को पूर्ण करने में शिथिलता व उदासीनता दिखाई जिसके कारण उक्त कार्य अपूर्ण पड़े हुए थे।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर 04: वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्ययाधिक्य एवं रु 73.55 लाख का अवरोधन।

उत्तराखण्ड बजट नियमावली 2012 के प्रावधआनों के अनुसारः-

(1) Rule 124. Every controlling officer must furnish the final statement of excesses and savings in Form B.M. 2 (Part - II) which should reach the Finance Department, through the Administrative Department concerned, not later than 25th January.

Rule 125. All final savings must be surrendered to the Finance Department by 25th March.

Rule 183. Rush of Expenditure: According to Financial Regulations, rush of expenditure in the closing month of the financial year should be avoided. For a sound financial management, uniform pace of expenditure should be maintained.

उत्तराखंड शासन द्वारा अप्रैल 2019 में आपदा प्रतिपादन के लिए आवश्यक खोज एवं बचाव उपकरण, जिसमें संचार उपकरण भी सम्मिलित हैं, के क्रय हेतु राज्य कार्यकरिणी समिति के आकलन के अनुरूप राज्य आपदा मोचन निधि के कुल वार्षिक आबंटन रु 5.00 करोड़ के दस प्रतिशत रु 50.00 लाख तक व्यय किए जाने के निर्देश दिये गए थे। उक्त शासनादेश में यह भी उल्लिखित किया गया था कि स्वीकृत धनराशि का 31 मार्च 2020 तक उपयोग कर, उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विभागों को बचाव उपकरण क्रय हेतु निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी थी:

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	उपकरणों का नाम	धनराशि अवमुक्त करने की तिथि	अवमुक्त धनराशि लाख रु में
1	Shivalik Nagar Palika, Haridwar	Equipment for Covid-19	21.03.2020	3.00
2	PAC 40vi Vahini Haridwar	-do-	21.03.2020	3.00
3	IRB-II Haridwar	-do-	25.03.2020	3.00
4	SP Railways Haridwar	-do-	25.03.2020	3.00
5	All tehsils of Haridwar @ Rs 2.00 lakh	-do-	25.03.2020	8.00
6	DIG, Shastra Training Centre, Haridwar	-do-	29.03.2020	3.00
7	Chief Vaterinary Officer, Haridwar	-do-	31.30.2020	5.00
Total				28.00

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि आपदा प्राधिकरण द्वारा कुल आबंटित धनराशि रु 50.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के नौ माह बीत जाने तक यानि एक जनवरी 2020 तक मात्र रु 3.82

लाख यानि आबंटित धनराशि का मात्र 7.64 प्रतिशत व्यय किया गया। तत्पश्चात आपदा प्राधिकरण द्वारा फरवरी एवं मार्च 2020 में रु 4.98 लाख का व्यय किया गया तथा वित्तीय वर्ष के अंत 21 मार्च से 31 मार्च 2020 तक विभिन्न कार्यालयों को कोविड उपकरणों के क्रय हेतु रु 28.00 लाख (56 %) अवमुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त उपकरणों के क्रय हेतु राज्य कार्यकरिणी समिति से अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया। इस प्रकार, जनपद आपदा प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा उत्तराखंड बजट नियमावली के नियम 183 का उल्लंघन करते हुए कुल आबंटित धनराशि का 56 प्रतिशत वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में किया गया, जबकि बजट नियमावली के नियम 124 के अनुसार 25 जनवरी के बाद कोई व्यय नहीं किया जाना चाहिए था, अव्ययित धनराशि को बजट नियमावली के नियम 125 के अनुसार 25 मार्च 2020 तक शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था। परंतु बजट नियमावली के नियम 124 व 125 के अनुसार अव्ययित धनराशि को शासन को समर्पित किए जाने के स्थान पर नियम 183 का उल्लंघन करते हुए मार्च माह में आबंटित धनराशि का 62.70 प्रतिशत व्यय वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में किया गया। इस प्रकार बजट नियमावली के प्रविधानों का उल्लंघन करते हुए रु 32.98 लाख का व्ययाधिक्य व्यय (rush of expenditure) किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने उत्तर दिया कि भविष्य में समयानुसार उपकरणों का क्रय किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपकरणों के क्रय पर व्यय राज्य कार्यकरिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर बजट नियमावली के प्रविधानों का अनुपालन करते हुए व्यय किया जाना चाहिए था।

उत्तराखण्ड बजट नियमावली 2012 के प्रावधआनों के अनुसारः-

(2) 125. All final savings must be surrendered to the Government by 25th March.

कार्यालय जिलाधिकारी द्वारा untied fund से संबन्धित उपलब्ध करायी गई सूचनाओ एवं संबन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि राजस्व परिषद द्वारा कार्यालय को रु एक करोड की धनराशि खाद्य आपूर्ति, बचाव और राहत कार्यों के संचालन, नवीकरण और अन्य जनहित के कार्यों के सम्पादन हेतु उपलब्ध करायी गयी थी। आगे पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 ओर 2019-20 में प्राप्त धनराशि क्रमशः रु 2.81 लाख और रु 54.40 लाख वित्तीय वर्ष के अन्त तक अव्ययित थी तथा रु 16.34 लाख विगत कई वर्षों की अव्ययित धनराशि थी अर्थात कुल धनराशि रु 73.55 लाख बैंक खाते में अव्ययित थी जबकी उक्त धनराशि को शासन को वित्तीय वर्ष के अन्त तक समर्पित किया जाना चाहिए था जो लेखापरीक्षा तिथि तक समर्पित नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त कर धनराशि को समर्पित करने की कारवाई की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि कोषाधिकारी हरिद्वार द्वारा अव्ययित धनराशि को राजकोष में जमा करने की सलाह दी गई थी तथा Budget Manual के अनुसार भी उक्त धनराशि को राजकोष में जमा नहीं कराया गया।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 05- अनविज्ञ मदों व योजनाओं की रू 23.23 करोड़ की धनराशि का बैंक खातों में अवरोधन।

शासन के पत्रांक 3 सितम्बर, 2009 में स्पष्ट उल्लेख है कि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं की एक बड़ी धनराशि बैंकों में जमा(Park) की जाती रही है। यह प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा बनाये गये कोषागार नियम-9 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड़-5 भाग-1 के प्रस्तर-21 व 22-बी के विपरीत है तथा यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो, तब इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियाँ में जमा किया जाय। सरकारी विभागों के कार्यों हेतु बैंक में खाता खोलने का काई प्राविधान नहीं है, जब तक शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्रदान न की गयी है। अतः अवशेष धनराशि विभागीय पी0एल0ए0 में तथा उप अर्जित ब्याज सुसंगत लेखाशीर्षक में तत्काल जमा कर दिया जाये।
कार्यालय, जिलाधिकारी, हरिद्वार के बैंक खातों से सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा पंजाब नैशनल बैंक, हरिद्वार में खाता संख्या-1333002100001756 का संचालन किया जा रहा था जो खाता जिलाधिकारी, दैवीय आपदा, हरिद्वार के पदनाम से था। इसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, हरिद्वार में संचालित खाता संख्या-11231236250 जो जिलाधिकारी, हरिद्वार के पदनाम से था तथा खाता संख्या-31949076379 जो जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हरिद्वार के पदनाम से था।

पंजाब नैशनल बैंक, हरिद्वार में संचालित उक्त खाते में 10 दिसम्बर, 2020 को रू 936.25 लाख की धनराशि जमा थी अर्थात खाते का अंतिम अवशेष था। उक्त कुल जमा धनराशि में से रू 68.45 लाख वर्तमान वित्तीय वर्ष में दैवीय आपदा के अन्तर्गत प्राप्त बजट की अवशेष धनराशि थी जिसका वर्तमान में व्यय किया जा रहा था तथा शेष धनराशि रू 867.80 लाख लेखापरीक्षा तिथि तक अनविज्ञ थी जिसके सम्बंध में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया कि धनराशि किस उद्देश्य हेतु प्राप्त हुयी थी एवं इसको किस मद में व कब तक व्यय किया जाना था एवं व्यय न किये जाने के किया कारण थे। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, हरिद्वार में संचालित खाता संख्या-11231236250 में 11 दिसम्बर, 2020 को रू 1447.82 लाख की धनराशि जमा थी अर्थात खाते का अंतिम अवशेष था तथा खाता संख्या- 31949076379 में 10 दिसम्बर, 2020 को रू 7.62 लाख खाते का अंतिम अवशेष था। अतः उक्त तीनों खातों में कुल रू 2323.24/(रू867.80 + रू1447.82 + रू 7.62) लाख की धनराशि लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त खातों में अनविज्ञ मदों की पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि खातों में जमा धनराशि के सम्बंध में अभिलेखों से जानकारी प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में कोविड-19 एवं दैवीय आपदा इत्यादि मदों में शासन एवं उच्चाधिकारी द्वारा प्राप्त धनराशि को उपर्युक्त अनविज्ञ धनराशि में शामिल नहीं की गयी। लेखापरीक्षा के दौरान सम्बंधित पटल प्रभारियों/सहायकों से प्रश्नगत अनविज्ञ धनराशि के सम्बंध में वार्तालाप एवं सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा की गयी थी परन्तु अनविज्ञ धनराशि का मिलान सम्बंधित अभिलेखों से नहीं हो पाया, अन्ततोगत्वा सक्षम

अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा को बिन्दुवार प्रतिउत्तर न देकर एक अस्पष्ट उत्तर दिया गया, जो सर्तक संगत न होने के कारण मान्य नहीं है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 06- भू-स्वामियों को वितरित प्रतिकर के सापेक्ष 2.5 प्रतिशत भूमि अर्जन व्यय एवं पंजीकरण की कुल धनराशि रू 13.48 करोड़ को सम्बंधित प्राधिकरण से प्राप्त न किया जाना तथा तद्नुसार राजकोष में जमा न कराया जाना।

कार्यालय, जिलाधिकारी, हरिद्वार के अन्तर्गत विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के भूमि अर्जन से सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-72ए छुटमलपुर-गणेशपुर भाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 रूड़की-छुटमलपुर के भाग में फोर-लेन रोड़ विस्तारीकरण एंव सुदृढ़ीकरण हेतु 23 ग्रामों के भू-स्वामियों की कुल 102.9691 हे0 भूमि अधिग्रहित की गयी। कार्यालय द्वारा उक्त अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष रू 536.07 करोड़ का अभिनिर्णय घोषित करके भू-स्वामियों को प्रतिकर के रूप में वितरित किया गया था। प्रश्नगत वितरित प्रतिकर के विरूद्ध 2.5 प्रतिशत भूमि अर्जन व्यय रू 134018074/ एवं पंजिकृत की धनराशि रू 160396/थी तथा 15 ग्रामों में परिसम्पत्तियों से सम्बंधित धनराशि रू 24799811 के अनुपुरक अभिनिर्णय के सापेक्ष 2.5 प्रतिशत भूमि अर्जन व्यय की धनराशि रू 619995/ थी।

इस प्रकार कार्यालय द्वारा कुल अभिनिर्णित धनराशि अर्थात वितरित प्रतिकर की धनराशि के सापेक्ष भूमि अर्जन व्यय एवं पंजीकृत की कुल धनराशि रू 134798465/ को लेखापरीक्षा तिथि तक सम्बंधित प्राधिकरण अर्थात कार्यालय, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, देहरादून से प्राप्त करके राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि सम्बंधित प्राधिकरण से उक्त धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु पत्राचार किया गया था, प्राप्त होते ही राजकोष में जमा करा दिया जायेगा तद्नुसार लेखापरीक्षा को भी अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 07- रु 15 लाख का व्यय वर्तन (Diversion).

Para 154 (3) of the Budged Manual Uttarakhand which stated that incurring of expenditure by Government officers is governed essential condition that there should exist sanction, either special or general, accorded by competent authority, authorizing expenditure.

जिलाधिकारी, हरिद्वार के untied फंड्स से संबन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया की कार्यालय द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार को untied फंड्स के अंतर्गत रु 15 लाख वर्ष 2019-20 में आवंटित किये गये थे जिसके क्रम में मूख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु एन 95 मास्क, VTM vials, पीपीई किट्स ग्लव्ज, मास्क, सैनिटाइजर और पोस्टर आदि क्रय हेतु स्वीकृत प्रधान की गई थी। (20.03.2020)। परन्तु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार द्वारा उक्त को छोडकर अन्य वस्तुओं का क्रय किया गया जैसे 6 डेस्कटॉप, 80 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर, स्वीपर को भुगतान, 100 रेन सूट आदि। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि स्वीकृत वस्तुओं के क्रय से संबंधित कोई भी बाऊचर अभिलेख लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा प्रदान नहीं किया गया जिस से यह सत्यापन नहीं हो सका की क्रय उनही वस्तुओं या उसके कुछ भाग का किया गया था, जिनके लिये धनराशि स्वीकृत करायी गई थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा प्रतिउत्तर में बताया की मुख्य चिकिस्सा अधिकारी से आख्या प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यय स्वीकृत वस्तुओं पर ही करना चाहिए था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01- रू 64.90 लाख को राज्य स्तरीय समिति को हस्तान्तरित न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ राजस्व अभिलेख(सृजित, दाखिल, निर्गत, कम्प्यूटरीकरण एवं कम्प्यूटरीकृत अभिलेख) नियमावली, 2019 के नियम-15 में स्पष्ट किया गया कि प्रदेश के जनपदों में संचालित भूलेख प्रबन्धन एवं अनुरक्षण समिति के बैंक खातों में शुल्क से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि स्वतः ही राज्य स्तरीय राजस्व अभिलेख प्रबन्धन एवं अनुरक्षण समिति के बैंक खाते में निहित समझी जायेगी तथा जिलाधिकारी नियमावली जारी होने की तिथि के 15 दिनों के अन्दर राज्य स्तरीय समिति के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाये तथा तद्नुसार राज्य स्तरीय समिति को सूचित किया जाये।

कार्यालय, जिलाधिकारी, हरिद्वार के अन्तर्गत जनपद स्तरीय भूलेख प्रबन्धन एवं अनुरक्षण समिति के अभिलेखों तथा बैंक पासबुक की संवीक्षा में पाया गया कि संदर्भित समिति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में खाता संख्या-11231235676 का संचालन किया जा रहा था जो खाता जिला भू-लेख प्रभारी/अनुभाग अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय रोशनाबाद के पदनाम से था। उक्त खाते में 11 दिसम्बर,2020 को रू 6489764/की धनराशि जमा थी अर्थात खाता का अंतिम अवशेष था। उक्त जमा धनराशि जनपद के अतंर्गत समस्त तहसीलों पर राजस्व अभिलेखों यथा खतौनी इत्यादि के उद्धरणों अर्थात खतौनी की नकल हेतु आवेदकों से प्राप्त निर्धारित शुल्क की धनराशि थी। प्रश्नगत धनराशि को उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार राज्य स्तरीय समिति बैंक खाते में हस्तान्तरित की जानी थी परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक हस्तान्तरित नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कारते हुए अपने उत्तर में बताया है कि राजस्व परिषद से निर्देश प्राप्त करके तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 02- कैन्टीन नीलाम ठेके की धनराशि रू 28116/- को सम्बंधित ठेकेदारों से वसूल न किया जाना।

कार्यालय, जिलाधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय परिसर में स्थित कैन्टीन की निविदा अर्थात नीलामी ठेके से सम्बंधित पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 हेतु आमंत्रित निविदा में श्री राजा कुमार पुत्र स्व0 श्री सत्यपाल कुमार, सिविल लाईन रूड़की की बोली सर्वाधिक होने पर उक्त कैन्टीन का नीलामी ठेका रू 3,11,000/ में दिया गया था। उक्त ठेकेदार द्वारा प्रश्नगत नीलाम ठेक की कुल धनराशि के सापेक्ष रू 3,02,106/ की धनराशि जमा की गयी थी शेष धनराशि रू 8894/लेखापरीक्षा तिथि तक जमा करवाया जाना लम्बित थी तथा वर्ष 2019-20 हेतु आमंत्रित निविदा में श्री मानू शर्मा पुत्र स्व श्री हरि राम शर्मा, हरिद्वार की बोली सर्वाधिक अर्थात रू 154000/ पायी गयी जिसके सापेक्ष उक्त द्वारा रू 134778/की धनराशि को राजकोष में जमा करायी गयी तथा शेष धनराशि रू 19222/ भी लेखापरीक्षा तिथि तक जमा नही करवायी गयी थी।

इस प्रकार उक्त दोनो ठेकेदारों से संदर्भित वित्तीय वर्षें की कुल अवशेष धनराशि रू 28116/(रू 8894 + रू 19222) को लेखापरीक्षा तिथि तक राजकोष में जमा करवाया जाना लम्बित थी।

लेखापरीक्षा द्वारा संदर्भित प्रकरण के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रति उत्तर में बताया कि सम्बंधित ठेकेदारों से वसूली की कार्यवाही गतिमान है।

अतः प्रकरण उच्चधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
30/2011-12	शून्य	01,02,03,04	शून्य
23/2013-14	शून्य	01,02,03,04	शून्य
07/2015-16	शून्य	01,02	शून्य
25/2019-20	01,02	01,02,03	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
30/2011-12	**<u>भाग-दो अ प्रस्तर-01</u>** रू 1356.05 लाख के टी.आर. 24 से आहरित धनराशि का समायोजन न किया जाना **<u>भाग-दो ब प्रस्तर-01</u>रू 817.**86 लाख की लागत से किया जाने वाला कार्य अपूर्ण रहना। **<u>भाग-दो ब प्रस्तर-02</u>** कार्यदायी संस्थाओं से रू 7.74 लाख के निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना। **<u>भाग-दो ब प्रस्तर-03</u>** जिला प्रशासन के उदासीनता के कारण अहेतुक सहायतान्तर्गत रू 2407.95 लाख की वितरित धनराशि संदिग्ध पाया जाना। **<u>भाग-दो ब प्रस्तर-04</u>** रू 95.75 लाख के चैको की धनराशि का मिलान न कराया जाना।	अनुपालन आख्या प्रधान महालेखाकार को प्रेषित कर दी जायेगी।		
23/2013-14	**<u>भाग-दो ब प्रस्तर-01</u>**धनावंटन की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यदायी संस्थाओं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं सिंचाई खण्ड़ हरिद्वार द्वारा आपदा कार्य (रू 911.64 लाख) किया जाना किन्तु धनावंटन की स्वीकृति अभी तक लम्बित रहना। **प्रस्तर 02** राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का भूमि अधिग्रहण में रू 67.89 लाख का अप्राधिकृत व्यक्ति को भुगतान। **प्रस्तर- 03**अनियमित भुगतान रू 1637.00 लाख	-तदैव-		

	(1602.95+34.053)। **प्रस्तर-04**आपातकालीन प्रकाश उपकरण एवं अन्य आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु आवंटित धनराशि रू 30.00 लाख का उपयोग न होना/अवरूद रहना। **<u>STAN प्रस्तर-01</u>** रू 2302053/- के चैकों की धनराशि का मिलान न कराया जाना।			
07/2015-16	**<u>भाग-दो ब प्रस्तर 01</u>** रू 3.29 लाख का लघु निर्माण कार्य को पूर्ण न किया जाना। **प्रस्तर 02** रू 910647/ के चैकों की धनराशि का मिलान न कराया जाना।	-तदैव-		
25/2019-20	**<u>भाग-दो अ प्रस्तर-01</u>**सक्षम अधिकारी द्वारा अधिप्राप्ति नियमों का उल्लंघन कर निविदा प्रक्रिया न अपनाकर एवं बिना किसी मांग के रू 19.28 लाख का निरर्थक व्यय। **प्रस्तर -02** दैवीय आपदा मद से विभागीय सम्पत्तियों की मरम्मत हेतु राज्य के अधीन निर्दिष्ट विभागीय कार्यदायी संस्थाओ से मरम्मत कार्य न कराके गैर सरकारी संस्था को चयनित कर धनराशि का वितरण रू 60.39 लाख। **<u>भाग-दो 'ब' प्रस्तर-01</u>** (ए) स्टाम्प वादो की वसूली न किया जाना रू 126.54 करोड़। **<u>प्रस्तर-01</u>** (बी) लम्बित रू 13958.37 लाख। **प्रस्तर-02** भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत गृह/भवन अनुदान रू 52.99 लाख की वितरित धनराशि का सत्यापन न कराया जाना। **प्रस्तर-03** दैवी आपदा एवं मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत वितरित धनराशि रू 06.08 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।	-तदैव-		

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, जिलाधिकारी, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- लेखापरीक्षा ज्ञापों के अनुसार

- ***राज्य में लागू खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत किए गय चालानों के सापेक्ष की गयी वसूली से सम्बंधित अभिलेख।***
- ***भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की धारा 47-क(4) के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि यदि कलेक्टर द्वारा किसी विलेख पर कम स्टाम्प पायी जाती है तो वह सम्बंधित पक्षकार की उचित स्टाम्प शुल्क अथवा कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने के निर्देश देने के साथ-साथ ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकते है से सम्बंधित अभिलेख।***

2- सतत् अनियमितायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी0डी0ओ0 का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी	जिलाधिकारी	29.06.2019	01.02.2020
2	श्री सी0 रवि शंकर	जिलाधिकारी हरिद्वार	04.02.2020	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, जिलाधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए0एम0जी0-III को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III